राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 40(1)ग्रावि / नरेगा / सा.नि.वि. / ह.स. / अलवर / 2010 जयपुर, दिनांक : 16.2.2010

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किये जाने वाले निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में कन्टींजेंसी के उपयोग बाबत दिशानिर्देश।**

प्रसंगः– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि / एनआरईजीएस / 2008–09 दिनांक 11.11.08 एवं एफ 4(5)आरडी / आरई / नरेगा / 06 दिनांक 26.03.09 के क्रम में।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। पूर्व में इस विभाग द्वारा उक्त निर्देशों के अधिक्रमण में निर्देश दिये जाते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टींजेंसी अथवा वास्तविक व्यय में से, जो भी कम हो, वह इस मद में देय होगा। उक्त व्यय योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय मद से वहन किया जावेगा। अतः किये जाने वाले व्यय का विवरण जहां तक सम्भव है, तकमीनों में ही सम्मिलित किया जावे। तकमीने में ली जाने वाली कन्टींजेंसी में निम्न कार्य अनुमत हैं :–

(i). Survey, design, drawings and estimate preparation.

(ii). Preparation of tender documents and NIT publication charges.

(iii). Hire charges of vehicle and POL for inspection of works.

(iv). Photography, videography and documentation.

(v). Consumable items related to Quality Control and Plantation maintenance.

2. Technical staff like STA/ JTA may be provided from the pool to be maintained at the DPC/ PO level as per requirements of the field officers of the PWD exclusively for NREGS works of the department. Hence it should not included in contingency items.

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(दिनेश गोयल)
प्रमुख शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग

(सी.एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियंता (एस.एस.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

16/2/10
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

क्रमांक एफ.40(1)ग्रावि/नरेगा/सा.नि.वि./ह.स./अलवर/2010 जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :

1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग..............................(समस्त)।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग ....(समस्त)।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला ....(समस्त)।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत ....(समस्त)।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड ....(समस्त)।
6. अधिशाषी अभियन्ता, मोनिटरिंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड ....(समस्त)।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग

SE\D:\Letter.doc